विचार बिन्दु

घर का मोह कायरता का दूसरा नाम है। –अज्ञात

क्या केजरीवाल की शराब नीति अनैतिक व असंवैधानिक तो थी ही, साथ ही वे व उनकी AAP संयुक्त रूप से RMLA कानून में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी भी हैं, अत: अनुच्छेद 239 AB के तहत कार्यवाही उचित है?

वर्तमान में अरविंद केजरीवाल के विरूद्ध शराब घोटाले का केस ट्रायल कोर्ट (राउज एवेन्यू कोर्ट) से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में चल रहा है, वह बहुचर्चित है। ईडी कानून में मनी लॉन्ड्री का केस है जिसमें केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिये अन्तरिम बेल दी है। इसी केस में दिनांक 17.05.2024 को ईडी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) दोनों को आरोपी बनाया है। देश के इतिहास में यह पहला केस है जहां एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी को आरोपी बनाया है। Vicarious Liability के सिद्धान्त को क्रिमिनल लॉ में लागू करने का नया प्रयोग है। मेगा प्रश्न है क्या किसी पोलिटिकल पार्टी के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा चल सकता है। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। साधारणत: मुख्यमंत्री को ऐसे मामलों में त्याग पत्र देकर मुकदमा लड़ना चाहिये, किन्तु केजरीवाल जेल ही से दिल्ली का शासन चला रहे हैं। यद्यपि अन्तरिम जमानत के आदेश में यह अंकुश लगाया गया है कि वे मुख्यमंत्री के रूप में कागजों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे और चुनाव स्पीच में केस के मेरिट पर नहीं बोलेंगे। अखबारों में पढ़ने को मिला है उन्होंने अपनी चुनाव अपील में कहा है कि उन्हें चुनावों में जीत दिलाओ, सुप्रीम कोर्ट उन्हें छोड़ देगी। वे शीश महल में रह रहे हैं और हवाई यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें Kingpin कहा है।

इस केस का सबसे मुख्य प्रश्न है कि इसका विषय शराब से है और उद्देश्य है सरकार चलाने के लिये राजस्व अर्जित करना, जबकि हमारा संविधान यह मानता है कि देश में शराब बंदी होनी चाहिये। राष्ट्रपिता बापू मद्य निषेध नीति के प्रबल प्रवक्ता थे। उन्होंने कहा था कि यदि उन्हें एक दिन का निरंकुश शासक बना दिया जावे तो वे सबसे पहले शराब बंदी का आदेश देंगे। कई धर्मों में शराब को (जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है) सब पापों की जननी माना है। देश के महान न्याय विद् जस्टिस कृष्णा अय्यर ने अपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहा है कि शराब की आय से कल्याणकारी राज्य का प्रशासन नहीं चलाया जा सकता। राज्य का यह कृत्य अनैतिक है और संविधान के विरूद्ध है। नीति निदेशक तत्वों में कहा गया है राज्य लोक कल्याण की वृद्धि करेगा केजरीवाल की शराब नीति मद्य निषेध नहीं है अपितु राजस्व की वृद्धि करना है। केजरीवाल ने शराब की कीमत में वृद्धि कर ठेका दिया और बड़ी आय अर्जित की है। गणराज्य की राजधानी दिल्ली में शराब की नदियाँ बहती हैं।

दुनियां के 42 देशों में शराब बंदी लागू है। देश के कुछ राज्यों में शराब बंदी के बाबत जस्टिस टेकचंद समिति का गठन हुआ था। समिति ने 12 सूत्र दिये थे और सुझाव दिया था कि जो राज्य शराब बंदी करेगा, उसकी हानि का 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार पूरा करेगी।

प्रस्तुत मामला केजरीवाल की शराब की पोलिसी से सम्बन्ध रखता है। संविधान के अनुच्छे 47 के अनुसार राज्य में शराब बंदी करना शासन का संवैधानिक दायित्व है। शराब की बिक्री को बढ़ाकर राजस्व बढ़ाना मद्य निषेध के विरूद्ध है। केजरीवाल की नीति में पहला सूत्र था, एक बोतल शराब पर एक बोतल फ्री दी जावेगी। दूसरा सूत्र था इसे प्राइवेट हाथों में दिया जाना। बिक्रेताओं को खुली छूट दे दी कि वे एमआरपी के नीचे किसी भी दाम पर शराब बेच सकते हैं व नई शराब की नीति के बाद पुरानी शराब नीति पुन: लागू कर दी गई। दिल्ली की पुरानी आबकारी नीति से जुडे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समन किया था। गिरफ्तारी हुई और जांच प्रारम्भ की गई। यह मामला ट्रायल कोर्ट में चल रहा है केजरीवाल के साथी मंत्री भी आरोपी हैं।

दिनांक 14 मई 2024 को हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी इसी दौरान ईडी के एडवोकेट राजू व जस्टिस स्वर्ण कान्ता शर्मा के मध्य बहस के दौरान प्रश्न उठाया गया कि क्या आम आदमी पार्टी को केस में आरोपी बनाया जाना चाहिये था? केस की गम्भीरता को देखते हुये दिनांक 17.05.2024 को ईडी ने 8वी चार्जशीट दाखिल की इसमें केजरीवाल व आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया। यह चार्जशीट दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश की गई है। इसके लिये साउथ ग्रुप ने AAP को कुल 100 करोड़ रूपये की रिश्वत दी थी, इसमें से 45 करोड रूपये का इस्तेमाल 'आप' ने गोवा में चुनाव में काम में लिया था। सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने ईडी के एडवोकेट से पूछा था, क्या लोगों के पास पुख्ता सबूत हैं। विश्वास के साथ कोर्ट को सूचित किया कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं।

इस केस का सबसे मुख्य प्रश्न है कि इसका विषय शराब से है और उद्देश्य है सरकार चलाने के लिये राजस्व अर्जित करना, जबकि हमारा संविधान यह मानता है कि देश में शराब बंदी होनी चाहिये। राष्ट्रपिता बापू मद्य निषेध नीति के प्रबल प्रवक्ता थे। उन्होंने कहा था कि यदि उन्हें एक दिन का निरंकुश शासक बना दिया जावे तो वे सबसे पहले शराब बंदी का आदेश देंगे।

यह पहला प्रसंग है जब किसी राजनीतिक पार्टी को फौजदारी केस में आरोपी बनाया गया हो। ईडी का कथन है कि पीएमएलए कानून की धारा 30 के एक्सप्लेनेशन के अनुसार केस चलाया जा सकता है। केजरीवाल को मुख्य आरोपी माना है, वह पार्टी का मुख्य व्यक्ति (संयोजक) है। केजरीवाल पर आरोप है कि केजरीवाल और आप सरकार ने नवम्बर 2021 में शराब नीति में बदलाव कर होल सेलर्स के लिये 12 प्रतिशत और रिटेलर के लिये 18.5 प्रतिशत प्रोफिट सुनिश्चित किया था।

इस संबंध में कोर्ट के समक्ष यह यक्ष प्रश्न उठाया जा रहा है कि क्या एक राजनीतिक दल (AAP) को शराब घोटाले में कानूनी तौर पर आरोपी बनाया जा सकता है? इस प्रश्न पर आपत्ति होने से न्यायालय में बहस होगी और निर्णय होगा। PMLA कानून के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के विरूद्ध केस चलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जन प्रतिनिधि कानून 1651 की धारा 29ए के तहत राजनीतिक पार्टी का पंजीयन चुनाव चिन्ह के हेतु किया जाता है। पार्टी को व्यक्तियों का समूह माना गया है। इसमें संदेह नहीं है कि राजनीतिक पार्टी को आरोपी बनाने से मुकदमें की गरिमा में काफी अन्तर आ जावेगा।

यहां यह स्पष्ट करना भी समीचीन होगा कि PMLA कानून की धारा 2(1)(न) में आपराधिक धन के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभ लेने वाला व्यक्ति अपराधी की परिभाषा में आता है।

ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले की आय का उपयोग चुनाव में हुआ है। चुनावों में खर्च की गई राशि पर आयकर में भी छूट है। चुनावों में प्रत्येक राजनीतिक पार्टी चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह प्राप्त कर रही है। चुनावों में आचार संहिता भी लागू होती है। चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के अनुसार काम न करने पर तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आर पी एक्ट) के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर चुनाव चिन्ह भी छीना जा सकता है और राजनीतिक पार्टी का जो दर्जा दिया गया है उसे भी रद्द किया जा सकता है।

राजनीतिक पार्टी चुनावों में भाग लेती हैं उस पर भारतीय दण्ड संहिता (IPC) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (R P Act) और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के प्रावधान लागू होते हैं।

ईडी ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत है उसके अनुसार आप पार्टी को 2014 से 2022 के बीच विदेश फण्ड प्राप्त हुआ है, जो कानूनों की पालना किये बिना प्राप्त हुआ है। इस पर भी उचित कार्यवाही होने की पूरी सम्भावना है। कई देशों के दान दाताओं से एक बडी राशि कानूनी प्रावधानों के विरुद्ध प्राप्त की गई है।

यह स्पष्ट है कि आप के नेताओं के विरूद्ध पीएमएलए एक्ट के विरूद्ध मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है और 8वीं चार्जशीट के अनुसार AAP के विरूद्ध भी यह कार्यवाही की जावेगी।

साधारणत: फौजदारी कार्यवाही उसी व्यक्ति के विरूद्ध होती है, जो उसने किया है। इसका सिद्धान्त है जो करेगा वही भरेगा। लोग कम्पनी बनाकर फौजदारी कार्यवाही से बच निकलते थे, अत: एक नया रूल लागू हुआ, इसे Vicarious Liability का सिद्धान्त कहते हैं। Vicarious का अर्थ है उपनियुक्त रूप से अथवा परोक्ष तौर पर। साधारण रूप से कह सकते हैं जो दूसरे के बदले काम करे। एक व्यक्ति दूसरे की लापरवाही के लिये परोक्ष रूप से उत्तरदायी हो सकता है। कम्पनीज एक्ट में कम्पनी के लिये डायरेक्टर उत्तरदायी माना जा सकता है। Factories Act में occupier कम्पनी के हेतु दोषी माना जा सकता है। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रधान हैं (संयोजक हैं) वे उत्तरदायी होंगे। आठवीं चार्जशीट में आप को पार्टी बनाया गया है। जहां सजा नहीं दी जा सकती, वहां फाइन हो सकता है।

कहते हैं यह पहला केस है जिसमें फौजदारी मामले में राजनीतिक पार्टी को पक्षकार बनाया है।

बेल की कण्डीशन के अनुसार केजरीवाल को 2 जून, 2024 को सरेन्डर करना है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की प्रार्थना की है।

केजरीवाल के विरूद्ध दायर इस केस में ऐसा प्रतीत होता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट कई नये सिद्धान्त प्रतिपादित करेगा। अन्तरिम बेल के बाद पार्टी बनाने का मामला है और केस के अन्तिम निर्णय तक अन्य कई नये सिद्धान्त प्रतिपादित हो सकते हैं। जहां राजनीतिक पार्टी को पक्षकार बनाया जावेगा, वहीं उसकी मान्यता रद्द करने का प्रश्न भी निर्णय की प्रतीक्षा में रहेगा।

दिनांक 21.05.2024 के आदेश से दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी मनीष सिसोदिया की दूसरी जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। माननीय हाईकोर्ट ने यह Observe किया कि आरोपी सिसोदिया बेल के हेतु अच्छा केस प्रेषित करने में असमर्थ रहे हैं। केस की परिस्थितियों से प्रतीत होता है कि केस Grave Misuse of Power Deewj Breach of Trust का प्रतीत होता है। यह Prima Facie Money Laundering का केस प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक्साइज पोलिसी लागू इसलिये की गई कि प्राइवेट पार्टी को 12 प्रतिशत लाभ मिल सके। संविधान शराब बंदी करने का निर्देशन देता है, जहां शराब बेचने के हेतु पोलिसी बनाने का प्रश्न की पैदा नहीं होता। इस दृष्टि से यदि हम शराब पोलिसी की बात करें, तो पायेंगे कि शराब का व्यापार अनैतिक व्यापार है चूंकि हम कल्याणकारी राज्य के नागरिक हैं। इसका अर्थ है, केजरीवाल सरकार की शराब की पोलिसी संविधान के नीति निदेशक तत्वों के विरूद्ध है। केजरीवाल सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 239एबी में दी है उसके अनुसार समय व परिस्थिति को देखकर कदम उठाये जावें।

सत्यमेव जयते!

–अतिथि सम्पादक
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

पारिस्थितिकी तंत्र: अब ध्यान नहीं तो कब?

डॉ. रामावतार शर्मा

नेपाल में हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक पहाड़ है जिसे मच्छपुच्छरे पर्वत कहा जाता है। अभी 2023 की सर्दी में जब एक पर्वतारोही समूह एक दिन इस पहाड़ के शिखर पर पहुंचा तो उसके सदस्यों को लगा कि वे किसी काले पिरामिड के शिखर पर आ पहुंचे हैं। सर्द मौसम के बावजूद पर्वत शिखर और उसकी ढलान पर बर्फ या स्नो का नामोनिशान नहीं था। इसके अलावा उन्हें वहां से नजर आया कि कितने ही हिमालयी ग्लेशियर्स पानी की झीलों में बदल चुके हैं। हिमालय को पृथ्वी की छत कहा जाता है जिसका स्मरण करते ही चमकती हुई श्वेत हिम आच्छादित मेरु चोटियां आंखों के सामने आने लगती हैं। कितने ही पर्वतारोहियों को हिमालय अलौकिक नजर आता है – अलौकिक और सुदूर, जिसके हर शिखर पर पहुंचना एक दैवीय निमंत्रण–सा है, जहां उत्साह है, हिम्मत है और है एक दृढ़ मानवीय शक्ति का अहसास।

सामान्य तौर पर धरती के दो ध्रुव (पोल्स) माने गए है – उत्तरी ध्रुव (नॉर्थ पोल) आर्कटिक में और दक्षिणी ध्रुव (साउथ पोल) अंटार्कटिका में है। परंतु तिब्बती पठार को तृतीय ध्रुव (थर्ड पोल) भी कहा जाता है जो दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में तकलामकान रेगिस्तान तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हिम भंडार है और दुनिया के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। सीधे तौर पर तो आठ देश इस पठार पर आश्रित हैं परंतु परोक्ष में यह पूरे विश्व के जीवन को प्रभावित करता है। तिब्बत के पठार में 15,000 ग्लेशियर्स हैं जो 100,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। इन्ही ग्लेशियर्स से अमु दरिया, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, इर्रावेडी, मेकोंग, सलवीन, तारिम, यांगत्जे और पीली नदी का उद्गम स्थल है जो विश्व की सर्वाधिक मानव आबादी को पानी के रूप में जीवन देता है। भारत, चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान विश्व की सर्वाधिक आबादी वाले देश हैं। अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक फैला हिंदुकुश हिमालय पर्वत तंत्र आज खतरे में है और खतरे में है दुनिया की कोई दो तिहाई मानव आबादी।

भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार हिमालय के पानी, हवा और पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) को अपने हित में नियंत्रित करने में प्रयासरत नजर आ रहे हैं। इन देशों में आपसी विश्वास, सहयोग और सामंजस्य नगण्य के बराबर है जिसके फलस्वरूप हिमालय का इकोसिस्टम लगातार तबाह हो रहा है। सड़कों का जाल, रेल तंत्र का विस्तार, सुरंगों पर गर्व करते नेतागण, विशाल बांध और नदियों के रास्तों में व्यापक परिवर्तन निकट भविष्य में इन सब देशों में बड़ी बर्बादी का कारण बन सकता है। अनियमित बरसात, सूखे बसंत, रसातल में जाता जमीन का पानी, खाद्यानों की कमी आदि का सामना करने का समय निकट आता नजर आ रहा है। इस समय किसी भी देश का नेतृत्व ऐसा नहीं है जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ कर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया के बारे में स्पष्ट विचार रख सके।

चीन और उपमहाद्वीप के देशों में मित्रता का अभाव आने वाले समय में बड़े कष्टों का कारण बन सकता है। उपमहाद्वीप के नेता अपने–अपने देश में पड़ोसी देश को लेकर भय और आतंक का माहौल बना कर जन समर्थन जुटाने और अपनी सत्ता को स्थाई बनाने में प्रयासरत रहेंगे परंतु पारिस्थितिकी तंत्र का बिखराव एक दिन सब को चपेट में ले लेगा। आठ हिमालयन देशों में यदा–कदा डाटा सांझा करने के अलावा कोई तथ्यपरक बात नहीं हो रहीं है। इंजीनियर्स इस भ्रम के साथ नीतियां बनाते हैं मानो वे वातावरण और इकोसिस्टम को नियंत्रित कर लेंगे। पर ऐसा संभव नहीं है। धन कुबेर लोगों के समूह, महत्वाकांक्षी और अदूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व एवम व्यक्तिगत लाभ के चलते इंजीनियरिंग अब विज्ञान की जगह धन संग्रहण का साधन मात्र रह गई है। लोग ढोल नगाड़ों के साथ बर्फ़ले पहाड़ों पर शोर शराबे के बीच रील बनाएंगे, पहाड़ों की बर्फ दरकेगी और किसी दिन बड़ी जनहानि होगी।

याद रखना चाहिए कि हिमालय आलीशान हैं पर युवा हैं, सुकुमार है इसलिए भंगुर भी हैं। जिस टेक्टोनिक प्लेट पर भारतीय उपमहाद्वीप स्थित है वह एशिया प्लेट के नीचे घुस रही है जिसके फलस्वरूप हिमालय ऊपर आसमान को छूने के लिए प्रयासरत है तो नीचे इसकी नदियां अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत हैं। यह एक नाजुक संतुलन है। यह संतुलन यदि हमने बिगाड़ा तो ध्यान में रख लीजिए कि करोड़ों जीवन अपना अस्तित्व खो सकते हैं। भारत, चीन और पाकिस्तान का महान सैन्य शक्ति बनने का बड़ा अरमान है। प्रयासरत रहिए पर यदि यह सब इकोसिस्टम के विनाश के साथ हुआ तो यह इन आठों देशों के अस्तित्व की कीमत पर ही संभव होगा। खतरा वास्तविक है हम चाहे स्वीकार करें या नहीं। पृथ्वी के इस भाग में क्या गलत हो रहा है यह हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों के जीवन और भविष्य के बारे में सोचने पर ही समझ में आएगा। माहौल को देखते हुए तो लग रहा है कि लोगों को जब तक समझ में आएगा तब तक खतरा नियंत्रण से बाहर हो चुका होगा। प्रकृति में जो परिवर्तन अति धीमी गति से हो रहा प्रतीत होता है वह एक क्षण में अति विनाशकारी रूप ले लेता है जिसे हमारे पूर्वजों ने प्रलय का नाम दिया है।

–डॉ. रामावतार शर्मा,
(चिकित्सक एवं लेखक)

सुधार व रखरखाव की कमी से पावटा में सीसीटीवी कैमरे कई सालों से बंद

पावटा, (निसं)। पावटा प्रागपुरा नगरपालिका क्षेत्र के पावटा कस्बे में पुलिस प्रशासन की तीसरी आंख कहे जाने वाले सीसीटीवी कैमरे कई सालों से मरम्मत के अभाव में खराब पड़े हुए हैं। इन कैमरों के खराब होने से कस्बे में हो रहे अपराधों पर नकेल कसने में पुलिस प्रशासन पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहा है।

सामाजिक कार्यकर्ता व पूर्व सरपंच प्रतिनिधि गोपाल अग्रवाल ने बताया कि पूर्व सरपंच पूजा अग्रवाल के कार्यकाल 2019 में भामाशाहों ने 10 सीसीटीवी कैमरे कस्बे की सुरक्षा हेतु लगवाए थे, लेकिन कैमरे पिछले कई सालों से सुधार व मेंटेनेस की कमी के कारण बंद पड़े हैं। कैमरों में तकनीकी खराबी आ गई है, जिससे सभी कैमरे तकनीकी खामी के कारण नहीं चल रहे हैं। कैमरे सभी मुख्य बाजारों व चौराहों पर एवं अन्य स्थानों पर लगे हुए हैं। जिसकी क्वालिटी बेहतर है, साफ विजन आता है लेकिन कैमरों के बंद होने से कस्बे की कोई भी गतिविधि रिकार्ड नहीं हो पा रही है। सीसीटीवी कैमरे किसी अपराधी को पकड़ने के लिए कितने उपयोगी होते हैं, इसका उदाहरण पुलिस की कई जांच में देख सकते हैं, लेकिन इन सीसीटीवी कैमरों का सिस्टम ही पूरी तरह ठप हो जाए तो उसका खामियाजा सिर्फ पुलिस की जांच को ही नहीं बल्कि किसी घटना में पीड़ित को भी भुगतना पड़ता है।

पावटा कस्बे में सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हुये हैं।

- **कैमरों के खराब होने से कस्बे में हो रहे अपराधों पर नकेल कसने में पुलिस प्रशासन पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहा है**
- **पूर्व सरपंच पूजा अग्रवाल के कार्यकाल में भामाशाहों ने 10 सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे**

गोपाल अग्रवाल ने बताया कि पावटा कस्बे में लगातार हो रहे अपराधों पर नजर रखने वाली पुलिस की तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरों की निगरानी को ही नजर लग गई है। कस्बे के मुख्य हिस्सों में लगे सीसीटीवी कैमरे सही ढंग से रखरखाव न होने के चलते बेकार पड़े हैं। जिससे अब बेखौफ अपराधी कहीं भी वारदात को अंजाम देकर फरार होने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन कैमरों को सुधार पाने में प्रशासनिक तंत्र भी लगातार नाकामयाब ही दिखाई पड़ रहा है। नगरपालिका की लापरवाही व अनदेखी के चलते बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच अब चोरी, लूट जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। ऐसे में अपराधियों को पकड़ने में सहयोगी भूमिका निभाने वाली कानून की तीसरी आंख का सहारा भी पुलिस की व्यवस्था से छिनता हुआ नजर आ रहा है। इस कारण अपराधियों के बुलंद हौसलों ने अब उन्हें अपराध करने की छूट भी दे दी है। लेकिन प्रशासनिक तंत्र की लापरवाही के चलते सही ढंग से रखरखाव न होने के कारण कस्बे के अधिकांश हिस्सों में लगे सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए हैं। कैमरे खराब होने के बाद उसे सुधारने व मरम्मत में प्रशासन ना तो कोई रुचि दिखा रहा है और ना ही कोई प्रयास कर रहा है। ऐसे में यह कैमरे महज शो–पीस बनकर रह गए हैं।

गोपाल अग्रवाल ने बताया कि कस्बे में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का कनेक्शन प्रागपुरा थाना पुलिस रूम से है। पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात पुलिस स्टाफ एलईडी स्क्रीन के माध्यम से पूरे शहर की निगरानी करता है। किसी भी तरह की घटना या जाम की स्थिति देखने के बाद तत्काल वायरलेस के माध्यम सूचना दे दी जाती है।

24 मई से एक जून तक रहेगा "नौतपा", इस अवधि में टूटेगा गर्मी का रिकॉर्ड

भीलवाड़ा, (निसं)। हिंदी पंचांग का तीसरा महीना ज्येष्ठ 24 मई को शुरू हो रहा है। ज्येष्ठ महीने में ही नौतपा रहता है। इस बार 24 मई से नौतपा शुरू होकर एक जून को समाप्त होगा। इस दौरान गर्मी अधिक रहेगी, लेकिन औद्योगिक नगरी में भीषण गर्मी ने नोतपा से पहले ही हालत खराब करके रख दिए है। गर्मी से शहर की सड़कों को ठंडा रखने के लिए नगर परिषद की फायर ब्रिगेड के जरिए पानी की पिलाई करवाई जा रही है।

ज्योतिषियों के मुताबिक सूर्य ग्रह जब रोहिणी नक्षत्र में आता है तो नौतपा शुरू होता हा जाता है। करीब 15 दिन तक सूर्य रोहिणी नक्षत्र में रहेगा। शुरू के नौ दिन अधिक गर्मी रहेगी। 24 मई की रात 3 बजकर 17 मिनट पर सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा और तपनकाल शुरू हो जाएगा। उस समय सूर्य वृषभ राशि में रहेगा। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्र माना जाता है। ज्येष्ठ महीने में गर्मी की अधिकता रहने के साथ ही हल्की बारिश होने की भी संभावना है। नगर व्यास पंडित राजेंद्र कुमार के अनुसार नौतपा में पड़ने वाली तेज गर्मी से ही बारिश का आकलन होगा। इस अवधि में जहां–जहां बारिश होती है, वहां रोहिणी गलने से वर्षा ऋतु में बरसात की कमी की संभावना रहती है।

नगर व्यास ने पंचांग के आधार पर बताया कि इस बार देशभर में अच्छी बारिश होगी। राजस्थान में मंडुकछाप यानी कहीं अधिक तो कहीं कम बारिश के योग बन रहे हैं। भीलवाड़ा में औसत बारिश होगी। फिलहाल औद्योगिक नगरी में पड़ रही भीषण गर्मी ने शहर की सड़कों को सूना कर दिया है। आमजन रोजमर्रा के कामों के लिए भी घर से निकलने में कतरा रहे हैं। तापमान नोतपा से पहले ही 44 डिग्री तक पहुंच चुका है।

भीलवाड़ा में प्रशासन द्वारा शहर की सड़कों को ठंडा रखने के लिए सड़कों पर फायर ब्रिगेड की मदद से पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है।

राशिफल शुक्रवार 24 मई, 2024

पंडित अनिल शर्मा

ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2081, अनुराधा नक्षत्र दिन 10:10 तक, शिव योग दिन 11:21 तक, बालव करण प्रात: 7:24 तक, चन्द्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य–वृष, चन्द्रमा–वृश्चिक, मंगल–मीन, बुध–मेष, गुरू–वृष, शुक्र–वृष, शनि–कुम्भ, राहु–मीन, केतु–कन्या राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि दिन 10:10 तक है। आज श्री नारद जयन्ती है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:20 तक, लाभ–अमृत 7:20 से 10:42 तक, शुभ 12:23 से 2:04 तक, चर 5:27 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:39, सूर्यास्त 7:08

मेष
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

वृष
परिवार में आपसी सहयोग–समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक–सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
स्वास्थ्य से संबंधित चिन्ता दूर होगी। किसी भी कारण से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित यात्रा संभव है।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में आपसी वाद–विवाद बढ़ सकते हैं। पारिवारिक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

कन्या
परिवार में शुभ–मांगलिक संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

तुला
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। परिवार में धार्मिक–सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

धनु
घर–परिवार में कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

मकर
आर्थिक/वित्तिय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में शुभ–मांगलिक संदेश प्राप्त होंगे।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मीन
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।